दिनांक 23.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना अहरौला

•50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 22.05.2024 की रात्रि थाना अहरौला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरईपुर पुलिया पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहरौला पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, मऊ, जौनपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली कर्नलगंज

•पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूट/चोरी की घटनाओं का अनावरण

•लूट/चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण

•1910/–रूपये नगद

•घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल

•03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 23.05.2024 को थाना कोतवाली कर्नलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बन्दरेबाबा मार्ग से चचरी जाने वाले मार्ग पर हरिसहायपुरवा खजुरिया के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–सलमान 2–लक्ष्मण घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 3–अरूण सहित गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 1910/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि जनपद गोण्डा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट/चोरी की घटनायें कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों के लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सलमान के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, जनपद अमेठी, बस्ती व गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त लक्ष्मण के विरूद्ध जनपद बस्ती, गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी गांधीनगर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

2—लक्ष्मण निवासी गांधीनगर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

3—अरूण निवासी हगनागॉव अलीगढ़ थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—लूट/चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—1910/—रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

•01 अभियुक्त गिरफ्तार

•01 किलो 528 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनॉकः 22.05.2024 को थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माल गोदाम रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त नरेन्द्र कुमार उर्फ पन्ती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 528 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरेन्द्र कुमार उर्फ पन्ती निवासी कन्हैया नगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 किलो 528 ग्राम अवैध चरस।

जनपद बाराबंकी/थाना सुबेहा

•01 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 255 ग्राम अवैध स्मैक

•चोरी की 01 मोटर साइकिल

•02 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 23.05.2024 को थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंधवा अण्डरपास के पास से अभियुक्त अभिषेक उर्फ अरविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 255 ग्राम अवैध स्मैक, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सुबेहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ अरविन्द निवासी ग्राम हसनपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 255 ग्राम अवैध स्मैक।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—02 मोबाइल फोन।

➢ जनपद सीतापुर/थाना तालगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना तालगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/363/377/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विमलेश कुमार को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बदायूं/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/313 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पन्नालाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।